अधिकारों की घोषणा

Congress of the United States,
begun and held at the City of New-York, on
Wednesday the fourth of March, one thousand seven hundred and eighty nine.
THE
RESOLVED
ARTICLES

संविधान में 10 संशोधन, जो बाद में अधिकारों की घोषणा के रूप में जाने गए, अमेरिका की पहली संसद में दो-तिहाई बहुमत से पारित हुए और फिर आवश्यक तीन-चौथाई राज्यों के विधान मंडलों द्वारा अनुमोदित किये गए.
राष्ट्रीय अभिलेखागार

क्योंकि बहुत से देशवासियों को डर था कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान द्वारा स्थापित नई केंद्रीय सरकार अत्यधिक शक्तिशाली बन जाएगी, वाक् स्वतंत्रता, प्रैस और धर्म की स्वतन्त्रता तथा अन्य मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए संशोधनों का प्रस्ताव रखा गया. दस स्वीकार किये गए. आज उन्हें अधिकारों की घोषणा के नाम से जाना जाता है.

संशोधन I

(15 दिसम्बर 1791 को अनुमोदित)

संसद सरकार-सम्मत धर्म की स्थापना से सम्बंधित, या लोगों के किसी धर्म को मानने की मनाही करने वाला; या बोलने की अथवा प्रैस की स्वतंत्रता पर, या लोगों के शांतिपूर्वक एकत्र होने के अधिकार पर, और अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार को आवेदन देने के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाने वाला कोई कानून नहीं बनाएगी.

संशोधन II

(15 दिसम्बर 1791 को अनुमोदित)

एक स्वतंत्र देश की सुरक्षा के लिए भली-भांति नियंत्रित नागरिक सेना क्योंकि आवश्यक है, लोगों के हथियार रखने या धारण करने के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जायेगा.

संशोधन III

(15 दिसम्बर 1791 को अनुमोदित)

किसी भी सैनिक को शांति-काल में किसी भी घर में उस घर के मालिक की अनुमति के बगैर नहीं रखा जाएगा, और युद्ध काल में भी ऐसा, कानून में दी गई व्याख्याओं के अनुरूप ही किया जायेगा.

संशोधन IV

(15 दिसम्बर 1791 को अनुमोदित)

लोगों के इस अधिकार का अतिक्रमण नहीं किया जायेगा कि उनके जिस्म, घर, दस्तावेज़, और चल-संपत्ति अनुचित तलाशी और कब्जे में लिए जाने से सुरक्षित रहें, तथा हलफिया बयान अथवा शपथ-समर्थित संभाव्य कारण के बिना, और विशेष रूप से यह बयान दिए बिना कि किस जगह की तलाशी ली जानी है, और किन व्यक्तियों या चीज़ों को कब्जे में लिया जाना है, कोई अदालती वारंट जारी नहीं किया जायेगा.

संशोधन V

(15 दिसम्बर 1791 को अनुमोदित)

किसी भी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए, जिसमें फांसी या कारावास की सज़ा दी जा सकती हो, उत्तरदायी नहीं ठहराया जायेगा जब तक कि ग्रैंड ज्यूरी द्वारा अभियोग न लगाया गया हो या प्रस्तावित न हो, सिवाए ऐसे मामलों के जो युद्ध या सार्वजानिक खतरे के समय वास्तव में कार्यरत थल या नौ

सेना, अथवा नागरिक सेना में उठे हों; ना ही किसी व्यक्ति पर ऐसे अपराध के लिए दो बार मुक़दमा चलाया जायेगा जिसके लिए मौत या कारावास की सजा दी जा सकती हो; ना ही किसी को किसी आपराधिक मुक़दमें में स्वयं अपने खिलाफ़ गवाही देने के लिए बाध्य किया जायेगा, ना ही किसी को देश के कानून की समुचित प्रक्रिया के बग़ैर जीवन, स्वतंत्रता, या संपत्ति से वंचित किया जायेगा; ना ही न्यायोचित मुआवज़े के बिना किसी की निजी संपत्ति सार्वजानिक उपयोग के लिए ली जाएगी.

संशोधन VI

(15 दिसम्बर 1791 को अनुमोदित)

सभी आपराधिक मुक़दमों में आरोपी को, जहाँ अपराध हुआ हो उस राज्य और ज़िले की, निष्पक्ष ज्यूरी द्वारा तेज़ी से और सार्वजनिक रूप से सुनवाई का अधिकार होगा, उस ज़िले का क़ानून द्वारा पहले निर्धारण कर लिया गया होगा, और उसे आरोप की प्रकृति और कारण के बारे में सूचित किया जाना होगा; उसके खिलाफ़ साक्षियों को उसके सामने बयान देना होगा; उसे अपने हक़ में गवाह पेश करने के लिए न्यायिक आदेश हासिल करने, और अपनी सफ़ाई में वकील की सहायता लेने का अधिकार होगा.

संशोधन VII

(15 दिसम्बर 1791 को अनुमोदित)

सार्वजनिक क़ानून के तहत मुक़दमों में, जहाँ विवाद के मामले का मूल्य बीस डौलर से अधिक हो, ज्यूरी द्वारा मुक़दमे की सुनवाई का अधिकार सुरक्षित रहेगा, और जिस तथ्य की ज्यूरी द्वारा सुनवाई हो चुकी हो, उसका, सार्वजनिक क़ानून के नियमों को छोड़, अन्यथा संयुक्त राज्य की किसी भी अदालत में पुनरीक्षण नहीं होगा.

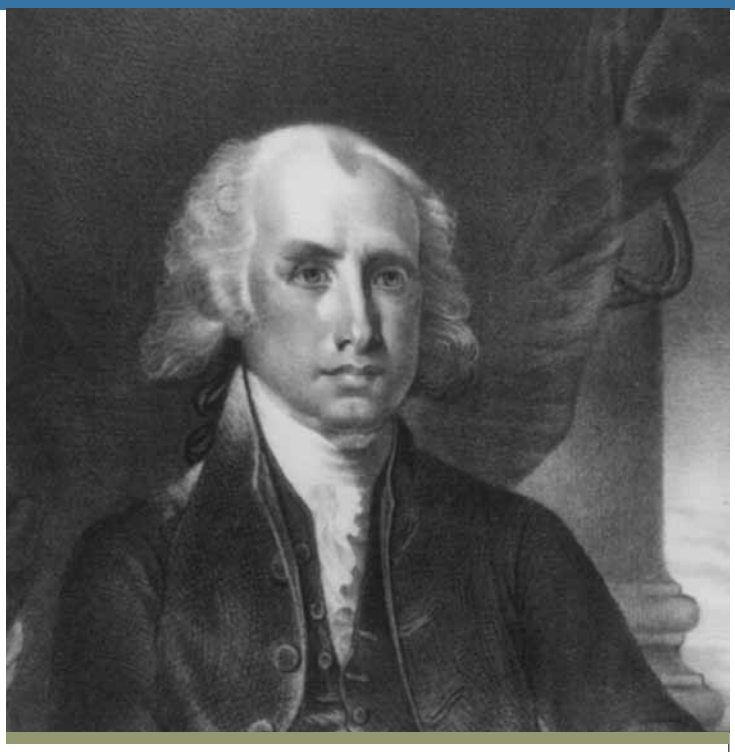

प्रतिनिधि जेम्स मेडिसन ने संसद में संशोधनों का संचालन करने और फिर अपने निवास राज्य वर्जीनिया में अनुमोदन के लिए आग्रह करने में निर्णायक भूमिका निभायी. © *एपी चित्र*

उप-राष्ट्रपति जौन एडम्स ने उस दौरान अमेरिकी सेनेट का सभापतित्व किया जब संसद की उस शाखा ने संशोधनों का अनुमोदन किया. © *एपी चित्र*

संशोधन VIII

(15 दिसम्बर 1791 को अनुमोदित)

अत्यधिक ज़मानत नहीं मांगी जायेगी, न ही अत्यधिक जुरमाना लगाया जायेगा, ना ही क्रूर और असाधारण सज़ाएं दी जायेंगी.

संशोधन IX

(15 दिसम्बर 1791 को अनुमोदित)

संविधान में कुछ विशेष अधिकारों के गिनाये जाने का यह अर्थ नहीं निकाला जायेगा कि लोगों के पास सुरक्षित अन्य अधिकारों को नकारा या घटाया जा रहा है.

संशोधन X

(15 दिसम्बर 1791 को अनुमोदित)

संविधान के द्वारा जो अधिकार संयुक्त राज्य को प्रदत्त नहीं किये गए हैं, ना ही उसके द्वारा राज्यों को दिए जाने की मनाही की गयी है, वे क्रमानुसार राज्यों अथवा लोगों के लिए सुरक्षित हैं.